

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

क्रमांक: एफ.17(8)24 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्राधि. बैठक / 2020 / ५३६९

दिनांक: 24/06/2022

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की तृतीय बैठक
दिनांक 09.05.2022 का कार्यवाही विवरण

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की अध्यक्षता में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.05.2022 को संपन्न हुई। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने बैठक के एजेण्डा एवं प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्राधिकरण के एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गयी। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। उक्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :—

एजेण्डा संख्या	एजेण्डा	निर्णय	संबंधित अधिकारी
1.	गत आयोजित द्वितीय बैठक दिनांक 16.04.2021 के कार्यवाही विवरण की अनुपालन की समीक्षा	<p>द्वितीय बैठक के कार्यवाही विवरण की अनुपालनाओं को पूर्ण माना गया।</p> <p>साथ ही प्रस्तावित संशोधित जन आधार कार्ड के अनुमोदन के साथ—साथ व्यक्तिगत जन आधार ई—कार्ड के प्रारूप का भी अनुमोदन सक्षम स्तर से कराया जाए।</p>	संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
2.	राजस्थान जन आधार योजना की प्रगति की समीक्षा	राजस्थान जन आधार योजना की समीक्षा के उपरान्त प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।	—
3.	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण हेतु बनाये गये ड्राफ्ट विनियमों का अनुमोदन	<p>निम्न विषयों पर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों के प्रारूपों पर वित्त विभाग व कार्मिक विभाग की सहमति प्राप्त की जानी है—</p> <ol style="list-style-type: none"> “The procedure for transaction of business to be followed by the Authority, including the quorum” “The procedure for transaction of business to be followed by the Executive Committee, including the quorum” <p>विषय “Specifying the terms and conditions for appointment of Registrars and enrolling agencies and revocation of appointments thereof” से संबंधित विनियम को आवश्यकता होने पर बनाये जाने का अनुमोदन किया गया।</p>	संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
			संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.

4.	जन आधार कार्ड से राशन कार्डधारी परिवारों की मैपिंग हेतु ई-मित्र को भुगतान हेतु स्वीकृत दर का अनुमोदन	प्रदेश में चिन्हित लगभग 42.12 लाख NFSA राशन कार्डधारी परिवारों की KYC प्रपत्र के माध्यम से जन आधार से मैपिंग के कार्य के संबंध में RISL द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर में ई-मित्र संचालकों से मैपिंग को दर्ज कराये जाने हेतु ई-मित्र संचालकों को देय 5 रुपये प्रति परिवार की दर का अनुमोदन किया गया।	संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
5.	जन आधार कार्ड में सदस्य का नाम, जन्मतिथि और लिंग के विवरण में एक से अधिक बार परिवर्तन कराने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को अपील करने का प्रावधान किया जाना है। इस हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 में आवश्यक संशोधन कराये जाने का निर्णय लिया गया।	जन आधार कार्ड में सदस्य का नाम, जन्मतिथि, लिंग के साथ-साथ जाति के विवरण में एक से अधिक बार परिवर्तन कराने हेतु संबंधित जिला कलक्टर को अपील करने का प्रावधान किया जाना है। इस हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 में आवश्यक संशोधन कराये जाने का निर्णय लिया गया।	संयुक्त निदेशक, रा.ज.आ.प्रा.
6.	Sharing of Jan Aadhaar APIs with partners who are providing B2C Services on E-Mitra Platform	ई-मित्र प्लेटफॉर्म से एकीकृत B2C श्रेणी की सेवाओं के partners के साथ Jan Aadhaar APIs को Share किया जा सकता है।	अति.निदेशक (ई-मित्र), DoIT&C

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्न : परिशिष्ट - 1

(भवानी सिंह देवा)

सदस्य सचिव,
शासन सचिव, आयोजना एवं
पदेन महानिदेशक

क्रमांक: एफ.17(8)24 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / प्राधि. बैठक / 2020 / ५३१०-८५ दिनांक: 24/06/2022
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, शासन सचिवालय, जयपुर।
- उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)।
- निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
- निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
- उपायुक्त द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (जन आधार), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
- अतिरिक्त निदेशक (ई-मित्र), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं
पदेन अति. महानिदेशक

**राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की दिनांक 09.05.2022 को आयोजित तृतीय बैठक
में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची**

1.	श्री अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
2.	श्री नवीन जैन, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
3.	डॉ. जोगा राम, शासन सचिव आयोजना एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
4.	श्री संदेश नायक, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
5.	श्री जे. के. वर्मा, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC)
6.	डॉ. ओम प्रकाश बैरवा, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
7.	श्री रामस्वरूप, उपायुक्त—द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
8.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर
9.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर